जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1248 दि. 27.12.18

आदेश

विषयः–जले हुये/खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश।

निगम द्वारा समय–समय पर जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जारी दिशा–निर्देश को अधिक्रमित करते हुये जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. **जले/खराब हुये ट्रांसफार्मर का पंजीकरण–**

उपभोक्ता द्वारा ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से करवायी जा सकती है।

i) टोल फ्री नं. 18001806045 या 1912

ii) सशुल्क नं. 0291–2741912

iii) एस.एम.एस द्वारा – 9413359064

iv) टिव्टर "@ccc_jdvvnl"

v) फेसबुक पेज (www.facebook.com/jodhpurdiscomjdvvnl)

vi) व्हाट्स ऐप फोन नं. 9413359064

vii) cccjdvvnl@gmail.com पर ई–मेल भेजकर

viii) खंड कार्यालय के उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर/फोन द्वारा।

उपरोक्त माध्यमों से दर्ज सभी शिकायतों का उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर शिकायत सेवा संख्या आवंटित किया जाना अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता सीधे ही उपखंड/ खंड कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाता है तो खंड/उपखंड कार्यालय द्वारा शिकायत को "उपभोक्ता सेवा केन्द्र" में पंजीकृत करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात् शिकायत को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

2. **शिकायत का सत्यापनः–**

i) दर्ज शिकायत के आधार पर कनिष्ठ अभियंता/फीडर इंचार्ज के द्वारा मोके पर जांच की जावेगी। यह देखा गया है कि कई बार ट्रांसफार्मर के एलटी साईड/एमसीबी इनकमिंग/आउटगोईंग टर्मिनल/मीटर टर्मिनल पर लूज कनेक्शन अथवा एमसीबी/मीटर खराब होने के कारण आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलते है। खराब ट्रांसफार्मर की उपखंड कार्यालय में आने के पश्चात् मेगर (Meggar) जांच की जावें। ट्रांसफार्मर की मेगर जांच के दौरान यदि एचवी वाईडिंग (HV Winding) की मेगर वैल्यु खराब मिलती है तो

ट्रांसफार्मर को खराब मानकर ट्रांसफार्मर की Failure Report बनाई जावें एवं Failure Report में आवश्यक रूप से मेगर वैल्यु अंकित की जावे। यदि ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में खराब हुआ है तो इसकी सूचना तुरंत ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी एवं अधीक्षण अभियंता (पदार्थ प्रबंधन –द्वितीय) को प्रेषित की जावे।

ii) यदि मेगर जांच के दौरान एचवी वाईडिंग (HV Winding) की मेगर वैल्यु सही मिले तो उपखंड स्टोर में एमएण्डपी बॉक्स की वेल्डिंग काटकर ट्रांसफार्मर की मेगर से जांच किया जाना आवश्यक है। यदि जांच के दौरान ट्रांसफार्मर सहीं पाया जाये एवं केबल, वायरिंग एमसीसीबी या अन्य कोई कारण से सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही थी तो ट्रांसफार्मर को जला हुआ घोषित नहीं किया जाये एवं ऐसे ट्रांसफार्मर के दुरस्त कर दुबारा उपयोग में लिया जावे। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जावे की ट्रांसफार्मर बॉडी पर लगी पॉलीकार्बोनेट सील को कोई नुकसान न हो।

iii) यदि ट्रांसफार्मर का मीटर बॉक्स खोलकर मेगर जांच करने पर ट्रांसफार्मर खराब पाया जाये (LV Winding की मेगर वेल्यु ठीक नहीं है) तो ट्रांसफार्मर को खराब मानकर बिन्दु संख्या 2 (i) में वर्णित कार्यवाही की जावें।

3. ट्रांसफार्मर को बदलनाः–

मौके पर ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने की स्थिति में खंड स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफार्मर बदलने हेतु मोबाईल लिफ्टर वैन द्वारा जले/खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित अवधि के अंदर बदलने की त्वरित कार्यवाही की जावे। जले/खराब ट्रांसफार्मर को अनिवार्य रूप से उपखंड कार्यालय में लाकर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। खराब/जल ट्रांसफार्मर उपखंड स्टोर में जमा नहीं होने पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता उत्तरदायी होगे। स्टोरकीपर द्वारा ट्रांसफार्मर Failure-Replacement रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसे सहायक अभियंता द्वारा समय–समय पर हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जावेगा। उपखंड अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह जले/खराब ट्रांसफार्मर को वृत स्टोर (ACOS) में जमा करवाना सुनिश्चित किया जावें।

जले/खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित अवधि के अंदर बदलना सुनिश्चित करने के लिए सहायक अभियंता अपने स्टोर में सभी क्षमताओं के सिंगल फेज/थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पर्याप्त स्टॉक रखेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

[signature] ...1218

(यू.एस. चौहान)
अधीक्षण अभियन्ता (आरए एण्ड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर